



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2008]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 10, 2012/आश्विन 18, 1934

No. 2008]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 10, 2012/ASVINA 18, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(कागज अनुभाग)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
(PAPER SECTION)

आदेश

ORDER

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2012

New Delhi, the 8th October, 2012

का.आ. 2425(अ).—केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18G द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

S.O. 2425(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely :—

1. (1) इस आदेश को न्यूजप्रिंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2012 कहा जाएगा।

1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2012.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में :

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule :

(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 115 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(1) In item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after S. No. 115 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :

"116. मैसर्स तिरुपति बालाजी फाइबरस लिमिटेड, 9 किलोमीटर, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर-251001 (यू.पी.)।"

"116. M/s. Tirupati Balaji Fibers Limited, 9th Km Bhopa Road, Muzaffarnagar-251001 (U.P.)."

[फा. सं. 4(8)/2012-कागज]

[F.No. 4(8)/2012-Paper]

तल्लीन कुमार, संयुक्त सचिव

TALLEEN KUMAR, Jr. Secy.

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का. आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 4 मई, 2012 के आदेश सं. का.आ. 1038(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105 (E), dated 11th October, 2004 and subsequently amended vide Order No. S.O. 1038(E), dated 4th May, 2012 published in the Gazette of India.

3850 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054